सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1614/MH/19/2023-ESDW (RU-I) **दिनांक: 28.04.2026**

जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट,
जिला-मुंबई-उपनगर,
कलेक्टर कार्यालय, मुंबई उपनगरीय जिला,
प्रशासनिक भवन, 10वीं मंजिल, सरकारी कॉलोनी,
चेतना कॉलेज के सामने, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400 051, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.mumbaisuburb@maharashtra.gov.in

पुलिस आयुक्त, मुंबई,
महाराष्ट्र सरकार,
पुलिस आयुक्त का कार्यालय,
डी. एन रोड, क्रॉफर्ड मार्केट के सामने,
मुंबई, महाराष्ट्र 400001
ई-मेल: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के परिवार की गाँव वलनाई, तालुका बोरीवली, जिला-मुम्बई उपनगर, महाराष्ट्र में स्थित सर्वे नंबर 17, 20, 21, 23, 30 भूमि पर जबरन कब्जा कर वर्ष 2003-05 में कृषि भूमि पर बहुमंजिला ईमारत बनाने के संदर्भ श्री रविंद्र बाबू धोडी, निवासी नानू वंसा चाल, केंट टॉवर बिल्डिंग के सामने, टि.पी.एस रोड, बोरिवली(प), मुंबई, महाराष्ट्र-400092, महाराष्ट्र का दिनांक 01.04.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 19.08.2025 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री रविंद्र बाबू धोडी,
निवासी नानू वंसा चाल, केंट टॉवर बिल्डिंग के सामने,
टि.पी.एस रोड, बोरिवली(प), मुंबई,
महाराष्ट्र-400092, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-1614/MH/19/2023-ESDW/RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

अनुसूचित जनजाति के परिवार की गाँव वलनाई, तालुका बोरीवली, मुम्बई उपनगर में स्थित सर्वे नंबर 17, 20, 21, 23, 30 भूमि पर भवन विकासकों द्वारा जबरन कब्जा कर वर्ष 2003-05 में कृषि भूमि पर बहुमंजिला ईमारत बनाने के संदर्भ श्री रविंद्र बाबू धोडी निवासी नानू वंसा चाल, केंट टॉवर बिल्डिंग के सामने, टि.पी.एस रोड, बोरिवली(प), मुंबई, महाराष्ट्र-400092 का अभ्यावेदन दिनांक 01/04/023 पर पर दिनांक 19.08.2025 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक : 19.08.2025
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

श्री रविंद्र बाबू धोडी और अन्य निवासी - नानू वंसा चाल, केंट टॉवर बिल्डिंग के सामने, टि.पी.एस रोड, बोरिवली(प), मुंबई (महा)-400092 से दिनांक 01/04/2023 को आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार आवेदक अनुसूचित जनजाति (ढोडिया जाति) के सदस्य है, जिसे संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

यह आवेदन तात्कालिक राहत हेतु तथा मेरे और मेरे परिवार के लिए न्याय की प्रार्थना के लिए प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने बिल्डरों और राज्य सरकार तथा बीएमसी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अत्यधिक कष्ट झेला है। उन्होंने हमारी गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर गाँव वलनाई, तालुका बोरीवली के सर्वे नंबर 17, 20, 21, 23, 30 स्थित हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया। उक्त संपत्ति पर 36A (आदिवासी संपत्ति) का उल्लेख होने के बावजूद, वे सरकारी तंत्र तथा बीएमसी को प्रभावित कर हमें वहाँ से बेदखल करने में सफल रहे। हमारी कई शिकायतों के बावजूद किसी भी प्राधिकरण द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और हमारी पीड़ा जैसी की तैसी बनी रही।

इस माननीय आयोग से निवेदन है कि निषेधाज्ञा जारी कर मेरी संपत्ति या उसके किसी भी भाग/हिस्से—जिसमें फ्लैट, परिसर, यूनिट, दुकान आदि शामिल हैं को, जो उक्त विवादित भूमि पर निर्मित/निर्माणाधीन भवन में स्थित हैं, बेचने, हस्तांतरित करने, गिरवी रखने, कब्जा सौंपने या किसी तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न नहीं हो।

प्रार्थी के आवेदन पर दिनांक 24/4/2023 को आयोग द्वारा जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया गया। जिस पर सुनवाई तिथि तक कोई भी प्रतिवेदन कार्यालय जिला कलेक्टर, मुम्बई उपनगर से प्राप्त नहीं होने पर आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19/8/2025 को सुनवाई आहूत की गई।

सुनवाई तिथि को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं दण्डधिकारी, मुम्बई उपनगर के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र चव्हाण, तहसीलदार एवं प्रार्थी आयोग में उपस्थित हुये।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं दण्डधिकारी, मुम्बई उपनगर के प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थी की भूमि के दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत किये, परन्तु लिखित प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि पर महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 36A के प्रावधान प्रभावी हैं। राजस्व अभिलेखों (Revenue

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Records) के अनुसार, यह मूल रूप से कृषि भूमि है, जिस पर अनुसूचित जनजाति के निवासी 'धोंडी कुटुंब' का नाम 7/12 में दर्ज था।

2) वर्तमान स्थिति यह है कि इन जमीनों पर गैर-आदिवासी (Non-Tribal) व्यक्तियों का कब्जा है और वहां निर्माण कार्य इमारतें दिखाई दे रही हैं। राजस्व रिकॉर्ड में अब "अमेरिकन स्प्रिंग', और भूमि सेलेस्टिया ग्रुप 7/12 नाम अमेरिकन के नाम दर्ज हैं, जो 'आदिवासी' की श्रेणी में नहीं आते हैं।

3) यद्वपि इस भूमि का अकृषिकरण (NA) आदेश 12/10/2015 को जारी किया गया और 2017 में इसका उप-विभाजन (Sub-division) हुआ।

अभ्यर्थी ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि उनकी पैतृक कृषि भूमि गांव – वलनाई में स्थित है उस पर महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 36A के प्रावधान प्रभावी हैं। राजस्व अभिलेखों (Revenue Records) के अनुसार, यह मूल रूप से कृषि भूमि है, जिस पर आदिम निवासी 'धोंडी कुटुंब' का नाम 7/12 में दर्ज था। वर्ष 1935 से पूर्व से ही इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पूर्वजों का नाम दर्ज है।

वर्ष 2011 में अमेरिकन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने उनकी 22 गुंटा भूमि पर कब्जा कर बहुमंजिला ईमारत बना दी। जिसकी शिकायत समय -समय पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को करने पर भी प्रार्थी को कोई न्याय नहीं मिला। वर्ष 2011 में यह राजस्व रिकॉर्ड में एक कृषि भूमि थी। उसके उपरान्त भी नगर निगम के अधिकारियों ने बिना राजस्व रिकॉर्ड के सत्यापन के प्रार्थी की जमीन पर भूमि कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को नक्शा की स्वीकृति प्रदान कर बहुमंजिला ईमारत बनवा दी।

वर्ष 2011 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड के 7/12 में आने के उपरान्त वर्ष 2011 में ही बिना प्रार्थी को सुने एवं बिना नोटिस के राजस्व रिकॉर्ड से नाम को अधिकारियों एवं बिल्डर की मिली भगत से हटा दिया गया। भवन का निर्माण वर्ष 2011 में होने के उपरान्त सोची समझी रणनीति के तहत सिलसिलेवार घटनाओं को अंजाम देते हुये 2011 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटा कर वर्ष 2015 में कृषि भूमि के उपभोग को प्रयोजन बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर बिना मूल भूमि धारक के वारिसों को सुने जमीन का अकृषिकरण (Non Agriculture) वर्ष 2015 में भूमि कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई , राजस्व विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से अनुसूचित जनजाति के परिवार को भूमिविहीन कर दिया गया।

आज दिनांक 19/8/2025 को यह तथ्य प्रार्थी के समक्ष आया है जिसकी जानकारी आज से पूर्व प्रार्थी को नहीं थी। प्रार्थी ने माननीय आयोग से न्याय प्रदान करवाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया।

आयोग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी के पक्ष की सुनवाई के उपरान्त निम्न अनुशंसा माननीय आयोग द्वारा की गई है :

जिला मुंबई उपनगर तहसील-बोरीवली, मौजा- वलनई स्थित भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. वादग्रस्त भूमि सर्वे नं. 17, हिस्से नं. 4 (सीटीएस नं. 553/1 से 13, 555 और 590), सर्वे नं. 17, हिस्से नं. 6 (सीटीएस नं. 420 और 590), सर्वे नं. 17, हिस्से नं. 8 (सीटीएस नं. 558 और 569), सर्वे नं. 20, हिस्से नं. 1/1, 1/2, 1/3, (सीटीएस नं. 521 एवं 522) सर्वे नं. 20, हिस्से नं. 16, सर्वे नं. 20, हिस्से नं. 18, (सीटीएस नं. 698) सर्वे नं. 21, हिस्से नं. 3अ/बी/के, सर्वे नं. 21, हिस्से नं. 7 (सीटीएस नं. 569 और 593), सर्वे नं. 21, हिस्से नं. 8 (सीटीएस नं. 563, 590 और 592), सर्वे नं. 23, हिस्से नं. 7, 10, 16 (सीटीएस 569, 585 और 1 से 25 तक), सर्वे नं. 24, हिस्से नं. 5 (सीटीएस नं. 340/पीटी), सर्वे नं. 30, हिस्से नं. 5 तथा सर्वे नं. 31, हिस्से नं. 8 (सीटीएस नं. 433) शामिल हैं। ये सभी भूमि ग्राम वलनई, महिला कॉलेज के सामने, तालुका बोरीवली,

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

मुंबई उपनगर में स्थित हैं पर महेश सुंदर यह मामला बिल्डरों और डेवलपर्स द्वारा जबरन कब्जा कर कृषि भूमि पर 2009 से 2018 के बीच बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया गया है। जिला कलेक्टर, मुंबई उपनगर मामले के संबंध में महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता 1966 के अंतर्गत की धारा 36 ए के प्रावधानों का पालन करें एवं जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वह मामले के संबंध में एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करें।

2. आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) अपने कार्यालय अभिलेखों से सत्यापन कर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि अमेरिकन स्प्रिंग्स और साश्वत कंस्ट्रुवेल प्रा. लि. (भूमि सेलेस्टिया ग्रुप) मुंबई ने भूमि का आदेश प्राप्त किए बिना और आदिवासी भूमि पर लागू धारा 36 A की पाबंदियों के बावजूद बीएमसी से भवन योजना की स्वीकृति कब प्राप्त की इसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

3. बीएमसी ने भवन योजना स्वीकृत की थी, तो बहुमंजिला इमारतों के लिए बिजली पानी और सीवेज कनेक्शन तथा जिन दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृति और कनेक्शन दिए गए आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट के रुप में प्रस्तुत किए जाएं। बिल्डरों और मालिकों द्वारा बीएमसी को दिए गए शपथपत्र भी आयोग को प्रस्तुत किए जाएं। यदि आपराधिकता पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज करने जैसी आवश्यक कार्रवाई की जाए।

4. महाराष्ट्र के पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क विभाग द्वारा आयोग को प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँ, जो अमेरिकन स्प्रिंग्स कंपनी और साश्वत कंस्ट्रुवेल प्रा. लि. मुंबई ने संबंधित भूमि पर निर्मित/बेचे जा रहे फ्लैटों की बिक्री हेतु प्रस्तुत की हैं।

5. जिला कलेक्टर मुंबई उपनगर और पुलिस आयुक्त, मुंबई यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता और उनके परिवार की सुरक्षा बनी रहे जब तक मामला आयोग के समक्ष लंबित है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि यदि किसी हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है तो वह महाराष्ट्र राजस्व अधिनियम या उसके किसी नियम का उल्लंघन न करे और जारी/अवैध/फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोई लेन-देन न हो।

7. आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
RESEARCH UNIT-I
****

F. No. NCST/DEV-1614/MH/19/2023-ESDW (RU-I) **Dated: 19.08.2025**

Sub: 02 Representations received from Shri Anand Kantilal Dhodi and Shri Ravindra Babu Dhodi, Mumbai, Maharashtra regarding request for conducting enquiry in the interest of justice of the Adivasi in respect of the tribal land against the violation of builder and other concerned authorities. Attendance Sheet of the Sitting to be held on 19.08.2025 at Forenoon in Court Room of NCST under the Chairmanship of Hon'ble Chairperson, NCST.

S. No.	Name	Designation	Mob. No. & Office No.	Signature
1.	**Shri Antar Singh Arya**	**Hon'ble Chairperson**	**In Chair**	
2.	Shri R.K. Dubey	Deputy Director		
3.	Shri Chetan Kumar Sharma	Research Officer		
4.	Shri Viveka Nand Shukla	Investigator		
5.				

The District Collector & Magistrate,
District Mumbai-Sub-Urban,
Maharashtra,

S. No.	Name	Designation	Mob. No. & Office No.	Signature
1.	Rajendra Charan	Leave Reserve Tehsildar - MSD	7798588888	
2.				
3.				

PETITIONER'S

S. No.	Name	Designation	Mob. No. & Office No.	Signature
1.	આનંદ કા ધોડી			
2.	રવિન્દ્ર બાબુ ધોડી		9870053486	
3.			7900064406	
4.				